अध्याय – 1
सामान्य

अध्याय 1
सामान्य

1.1 परिचय

यह अध्याय मध्यप्रदेश शासन द्वारा राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति, राजस्व के बकाया, लंबित वापसी प्रकरणों एवं लेखापरीक्षा पर शासन/विभाग की प्रतिक्रिया का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

1.2 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.2.1 अवधि 2012–17 के दौरान मध्यप्रदेश शासन द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान राज्यों को समानुदेशित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में से राज्य का अंश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के आंकड़े **तालिका 1.1** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.1

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	विवरण	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
1	2	3	4	5	6	7
1.	**राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	30,581.70	33,552.16	36,567.31	40,213.66	44,193.65
	• कर–भिन्न राजस्व	7,000.22	7,704.99	10,375.23	8,568.79	9,086.51
	योग	**37,581.92**	**41,257.15**	**46,942.54**	**48,782.45**	**53,280.16**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में राज्यों का अंश	20,805.16	22,715.27	24,106.80	38,397.84	46,064.10[1]
	• सहायता अनुदान	12,040.20	11,776.82	17,591.44	18,330.31	23,962.53
	योग	**32,845.36**	**34,492.09**	**41,698.24**	**56,728.15**	**70,026.63**
3.	राज्य शासन की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 तथा 2)	**70,427.28**	**75,749.24**	**88,640.78**	**1,05,510.60**	**1,23,306.79**
4.	3 से 1 का प्रतिशत	**53**	**54**	**53**	**46**	**43**

(स्रोत – मध्यप्रदेश शासन के वित्त लेखे)

[1] विस्तृत विवरण के लिए कृपया मध्यप्रदेश शासन के वर्ष 2016–17 के वित्त लेखे में विवरण पत्रक क्रमांक 14 ''लघु शीर्षों से राजस्व व पूँजीगत प्राप्तियों के विस्तृत लेखे'' का अवलोकन करें। शीर्ष ''राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों का अंश'' के आंकड़ों, जो वित्त लेखे में क–कर राजस्व के अन्तर्गत लेखांकित हैं, एवं जिसमें मुख्य शीर्ष ''0020–निगम कर, 0021–आय पर कर–निगम कर से भिन्न, 0032–सम्पत्ति कर, 0037–सीमा शुल्क, 0038–केन्द्रीय उत्पाद कर, 0044–सेवा कर'' एवं 0045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क शामिल हैं, को राज्य द्वारा वसूल की गई राजस्व प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक में 'विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश' में शामिल किया गया है।

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के पश्चात वित्तीय वर्ष 2015–16 से केंद्रीय करों में राज्यांश 10 प्रतिशत (32 से 42 प्रतिशत) बढ़ा।

वर्ष 2016–17 में राजस्व प्राप्तियों (₹ 17,796 करोड़; 17 प्रतिशत) में बढ़ोत्तरी मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा राज्य शासन को दिए गए शुद्ध आगम के अंश (20 प्रतिशत) एवं बिक्री, व्यापार आदि पर कर (14 प्रतिशत), माल तथा यात्री कर (23 प्रतिशत) के अधिक संग्रहण से थी जो राज्य उत्पाद शुल्क (पाँच प्रतिशत), वानिकी एवं वन्य जीवन (आठ प्रतिशत) और विविध सामान्य सेवा (87 प्रतिशत) की कम राजस्व प्राप्तियों से प्रतिसंतुलित थी।

1.2.2 वर्ष 2012–13 से 2016–17 की अवधि के दौरान वसूल किये गए कर राजस्व के विवरण **तालिका 1.2** में दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.2

कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	राजस्व शीर्ष	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2016–17 में वृद्धि (+)/ कमी (–) की तुलना का प्रतिशत	
		बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान 2016–17	2015–16 की वास्तविक प्राप्तियाँ
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	14,000.00 14,856.30	16,500.00 16,649.85	19,500.00 18,135.96	21,300.00 19,806.15	22,000.00 22,561.12	(+) 2.55	(+) 13.91
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	4,800.00 5,078.06	5,750.00 5,907.39	6,730.00 6,695.54	7,800.00 7,922.84	9,000.00 7,532.59	(–) 16.30	(–) 4.93
3.	स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस	3,200.00 3,944.24	4,000.00 3,400.00	4,000.00 3,892.77	4,700.00 3,867.69	4,500.00 3,925.43	(–) 12.77	(+) 1.49
4.	माल तथा यात्री कर	2,150.00 2,395.03	2,640.00 2,578.74	2,900.00 2,686.39	3,200.00 3,084.76	4,200.00 3,805.04	(–) 9.40	(+) 23.35
5.	विद्युत कर तथा शुल्क	1,370.00 1,477.71	1,600.00 1,972.20	2,050.00 2,010.20	2,200.00 2,257.83	2,500.00 2,620.53	(+) 4.82	(+) 16.06
6.	वाहन कर	1,400.00 1,531.25	1,650.00 1,598.93	2,000.00 1,823.84	2,300.00 1,933.57	2,500.00 2,251.51	(–) 9.94	(+) 16.44
7.	भू–राजस्व	550.00 443.59	572.00 366.23	700.10 243.10	500.00 276.86	500.00 406.65	(–) 18.67	(+) 46.88
8.	अन्य[2]	842.00 855.52	670.00 1,078.82	1,109.50 1,079.51	1,447.68 1,063.96	1,300.00 1,090.78	(–) 16.09	(+) 2.52
	योग	**28,312.00** **30,581.70**	**33,382.00** **33,552.16**	**38,989.60** **36,567.31**	**43,447.68** **40,213.66**	**46,500.00** **44,193.65**		

(स्रोत – मध्यप्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

[2] अन्य में वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नलिखित राजस्व शीर्षों से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियाँ निहित हैं : होटल प्राप्ति कर (₹ 2.15 करोड़), आय तथा व्यय पर कर (₹ 327.42 करोड़), अचल सम्पत्ति पर कर (₹ 583.52 करोड़) और वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (₹ 177.82 करोड़)।

कर राजस्व के अवयव **चार्ट 1.1** में दिये गये हैं:

चार्ट 1.1

वर्ष 2016–17 के दौरान कर राजस्व (₹ 44,193.65 करोड़)

(₹ करोड़ में)

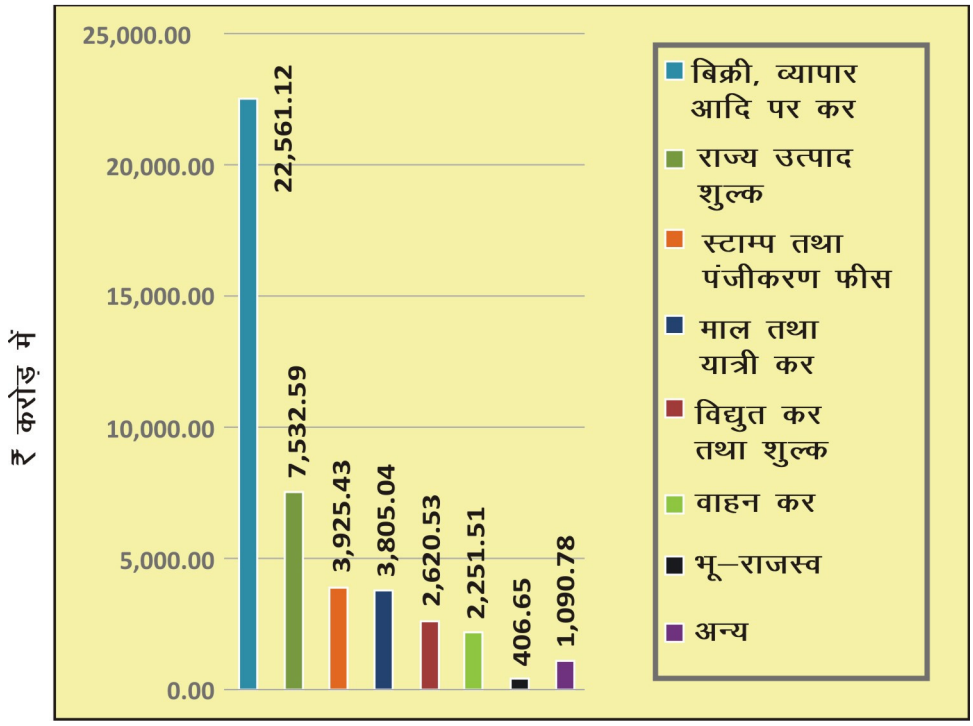

1.2.3 2012–17 की अवधि के दौरान वसूल किए गए कर भिन्न राजस्व के विवरण **तालिका 1.3** में दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.3

कर भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	राजस्व शीर्ष	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2016–17 में वृद्धि (+)/ कमी (–) की तुलना का प्रतिशत	
		बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान 2016–17	2015–16 की वास्तविक प्राप्तियाँ
1.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	2,300.00 2,443.39	2,220.00 2,306.17	2,500.00 2,813.66	3,200.00 3,059.64	3,450.00 3,168.28	(–) 8.17	(+) 3.55
2.	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2,567.31 1,682.49	2,469.61 2,008.49	157.73 3,276.10	3,192.18 1,292.41	4,143.72 1,824.03	(–) 55.98	(+) 41.13
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	969.04 910.38	1,100.00 1,036.80	1,250.23 968.77	1,250.31 1,001.71	1,250.00 917.98	(–) 26.56	(–) 8.36

4.	ब्याज प्राप्तियाँ	202.00 301.47	204.15 317.85	1,133.60 1,260.65	383.37 429.47	273.16 581.67	(–) 112.95	(+) 35.44
5.	ऊर्जा	495.68 370.69	524.85 378.66	584.12 381.23	662.14 190.09	374.49 357.87	(–) 4.44	(+) 88.26
6.	लघु सिचांई	204.11 379.62	233.53 219.37	281.54 299.77	314.25 326.74	379.94 336.24	(–) 11.50	(+) 2.91
7.	वृहद एवं माध्यम सिंचाई	96.18 137.74	116.86 138.48	120.09 137.55	186.08 156.16	120.56 238.12	(+) 97.51	(+) 52.48
8.	लाभांश एवं लाभ	33.82 18.38	41.28 378.72	42.26 80.35	32.57 129.64	108.83 231.50	(+) 112.72	(+) 78.57
9.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	93.49 239.15	184.40 380.22	165.50 140.21	182.14 147.01	240.59 193.87	(–) 19.42	(+) 31.88
10.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	21.00 44.83	46.65 57.76	56.25 120.16	101.56 121.04	130.82 167.04	(+) 27.69	(+) 38.00
11.	अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ[3]	344.37 472.08	441.67 482.47	467.57 896.78	619.38 1714.88	1008.36 1069.91	(+) 6.10	(–) 37.61
	योग	**7,327.00** **7,000.22**	**7,583.00** **7,704.99**	**6,758.89** **10,375.23**	**10,123.98** **8,568.79**	**11,480.47** **9,086.51**		

(स्रोत – मध्यप्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

[3] अन्य कर में वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नलिखित राजस्व शीर्षों से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में) निहित हैं: अन्य राजकोषीय सेवायें (0.01), लोक सेवा आयोग (22.78), जेल (6.19), लेखन सामग्री एवं मुद्रण (13.30), पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली (46.53), परिवार कल्याण (0.09), जलपूर्ति तथा सफाई (31.15), आवास (27.63), शहरी विकास (35.05), सूचना तथा प्रचार (0.24), श्रम तथा रोजगार (26.18), सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (88.78), अन्य सामाजिक सेवायें (138.43), फसल कृषि–कर्म (48.38), पशुपालन (3.69), डेरी विकास (0.02), मछली पालन (6.70), खाद्य भंडारण तथा भांडागार (0.14), अन्य कृषि कार्यक्रम (1.91), अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (19.54), पेट्रोलियम (0.01), नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा (12.82), ग्राम एवं लघु उद्योग (3.58), उद्योग (23.12), अन्य उद्योग (0.01), सड़क एवं सेतु (2.70), पर्यटन (89.18), अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (27.93), लोक निर्माण (115.93), पुलिस (149.89), सहकारिता (12.89), विविध सामान्य सेवा (115.09)

कर भिन्न राजस्व के अवयव **चार्ट 1.2** में दिये गये हैं:

चार्ट 1.2

वर्ष 2016–17 के दौरान कर भिन्न राजस्व (₹ 9,086.51 करोड़)

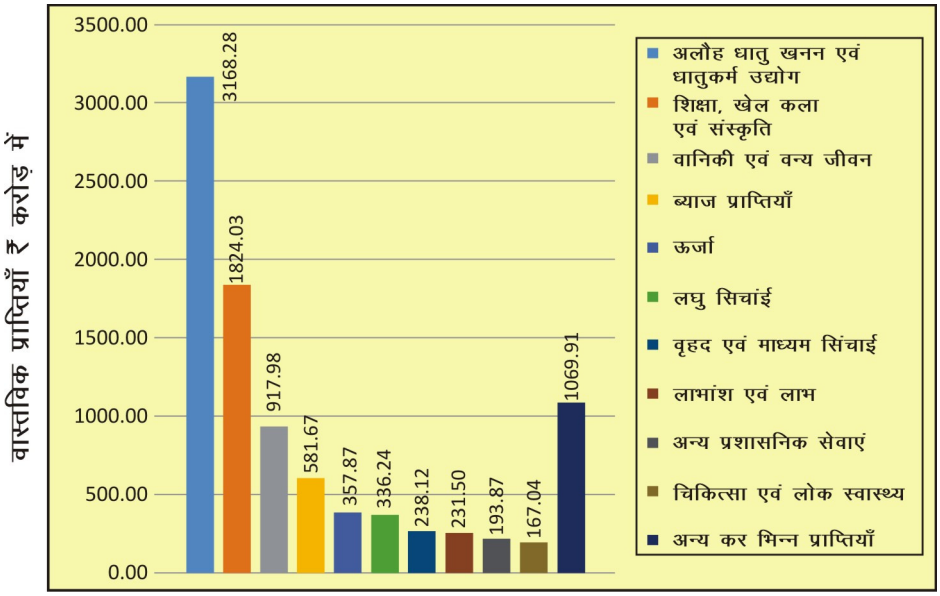

लेखापरीक्षा में राजस्व प्राप्ति हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्धारित अनुमानित बजट एवं वास्तविक प्राप्तियों में लगातार व्यापक भिन्नता पायी गयी है (सन्दर्भ **तालिका 1.2 एवं 1.3**)। मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता खंड–1 के अनुसार विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के आधार पर वित्त विभाग बजट अनुमान तैयार करेगा व प्रस्तुत विवरण की सत्यता हेतु प्रशासनिक विभाग उत्तरदायी होगा।

वित्त विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2018) कि प्रशासनिक विभाग द्वारा दिए गए विवरणों का परीक्षण एवं संकलन किया गया, तत्पश्चात् अनुमानों का अंतिम निर्धारण करने के लिए वित्त विभाग द्वारा अन्य विभाग प्रमुखों से चर्चा की गयी, परन्तु लेखापरीक्षा के बार–बार अनुरोध करने (अप्रैल 2018) पर भी वित्त विभाग ने इस तरह की चर्चाओं के कार्यवृत्त एवं बजट संबंधी नस्तियाँ लेखापरीक्षा के अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं कीं। लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत नहीं करना गम्भीर अनियमितता है एवं इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वित्त विभाग द्वारा बिना किसी चर्चा के बजट अनुमानों का निर्धारण किया गया है।

वित्त विभाग ने आगे बताया (अप्रैल 2018) कि प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तुत बजट अनुमान को विभाग के राजस्व उपार्जन की क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से वित्त विभाग द्वारा बढ़ाया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि यदि बजट अनुमानों को अत्यधिक बढ़ाने का यह आधार था तो यह प्रयास निरर्थक हुआ क्योंकि बाद में वित्त विभाग को पुनरीक्षित बजट अनुमान स्तर पर पूर्व निर्धारित बजट अनुमानों में कमी कर वास्तविक स्तर पर लाना पड़ा।

इससे स्पष्ट है कि वित्त विभाग द्वारा बजट अनुमान बनाते समय युक्तिसंगत आधार नहीं अपनाया गया।

1.3 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों में 31 मार्च 2017 को बकाया राजस्व की राशि ₹ 5,291.62 करोड़ में से ₹ 1,923.92 करोड़ की राशि **तालिका 1.4** में दिए गए विवरण के अनुसार पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थी।

तालिका 1.4

बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2016 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2017 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2017 को पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के प्रत्युतर
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4,298.05[4]	4,650.58	1,764.32	राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र (आर.आर.सी.) सम्पूर्ण राशि ₹ 4,650.58 करोड़ के जारी कर दिए गए, जिसमें से ₹ 1,976.05 करोड़ विभिन्न न्यायालयों एवं ₹ 134.92 करोड़ विभागीय अपीलीय अधिकारी के पास लंबित हैं।
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	158.27	182.19	73.08	₹ 67.00 करोड़ की आर.आर.सी. जारी कर दी गयी, ₹ 16.06 करोड़ न्यायालय में लंबित, ₹ 45.24 करोड़ के वसूली अयोग्य प्रकरण अपलेखन हेतु शासन को भेजे गए, 2017–18 में ₹ 95 लाख की वसूली की गयी, एवं ₹ 52.94 करोड़ वसूली हेतु अन्य स्तरों पर लंबित था।
3.	स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस	163.39[5]	243.34	57.34	विभागीय स्तर पर बकाया का कोई डेटाबेस संधारित नहीं किया गया है।
4.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	13.33	24.52	विभाग के पास कोई जानकारी नहीं है।	सम्पूर्ण राशि की आर.आर.सी. जारी कर दी गई।
5.	विद्युत कर तथा शुल्क	157.95	209.55	29.18	₹ 126.05 करोड़ की आर.आर.सी. जारी कर दिए गई, ₹ 11.34 करोड़ की वसूली न्यायालयों में लंबित है, ₹ 64.08 करोड़ की राशि का आवेदन शासन स्तर पर विद्युत शुल्क/उपकर के विलंबित भुगतानों पर ब्याज की अधिरोपित राशि को माफ करने हेतु विचाराधीन हैं, ₹ 3.67 करोड़ बीमार कपड़ा मिलों पर बकाया हैं एवं ₹ 4.41 करोड़ अन्य स्तरों पर लंबित हैं।
	योग	**4,790.98**	**5,291.62**	**1,923.92**	

[4] वाणिज्यिक कर विभाग ने लंबित कर प्रकरणों की समीक्षा कर वर्ष 2015–16 का अंतिम शेष ₹ 936.91 करोड़ से संशोधित कर ₹ 4,298.05 करोड़ कर दिया।

[5] पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग ने वर्ष 2015–16 का अंतिम शेष ₹ 190.60 करोड़ से संशोधित कर ₹ 163.39 करोड़ कर दिया एवं बताया गया कि भौतिक सत्यापन के समय प्रकरणों के निपटान के फलस्वरूप लंबित प्रकरणों में कमी आयी।

लेखापरीक्षा ने बकाया राजस्व की वसूली विलंबित रहने के कारण जानने हेतु चार विभागों[6] की नस्तियों एवं अभिलेखों का परीक्षण (अप्रैल 2018) किया एवं ₹ 249.03 करोड़ बकाया के 4,558 प्रकरणों की नमूना जाँच में पाया कि हालांकि सभी मामलों में आर.आर.सी. जारी कर दी गयी थी, फिर भी वसूली लंबित थी जिसका कारण प्रकरणों का न्यायालय एवं अपीलीय प्राधिकारियों के पास लंबित रहना, बकायादारों की चल/अचल सम्पत्ति बेचकर वसूली के प्रयास प्रारंभ ना करना, बकायादारों का पता ठिकाना ना मालूम होना, वसूली अयोग्य राशि के अपलेखन ना करना आदि पाया गया।

आगे यह पाया गया कि विभागों में बकाया राजस्व वसूली की प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी रखने एवं बकाया के संग्रहित होने के कारणों का पता लगाने हेतु कोई प्रणाली नहीं है। विभागों के पास लंबित बकाया का कोई डाटाबेस नहीं है। प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा द्वारा जानकारी माँगे जाने पर विभागों द्वारा फील्ड इकाईयों से बकाया प्रकरणों व राशि के आँकड़े एकत्रित कर संकलित किए जाते हैं। वाणिज्यिक कर विभाग ने लंबित बकाया वसूली प्रकरणों की समीक्षा कर 31 मार्च 2016 को लंबित बकाया का अंतिम शेष ₹ 936.91 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 4,298.05 करोड़ कर दिया। इसके अलावा पंजीयन तथा स्टाम्प विभाग ने प्रकरणों का भौतिक सत्यापन किया और 31 मार्च 2016 की स्थिति में अंतिम शेष ₹ 190.60 करोड़ में संशोधन कर ₹ 169.39 करोड़ कर दिया। अतः विभागों ने एक निश्चित तिथि पर अपनी लंबित बकाया राजस्व राशि में संशोधन किया, जो उनके द्वारा बकाया राजस्व के अभिलेखों के संधारण में कमियों को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा विभागों ने कर निर्धारण अधिकारियों के लिए बकाया राजस्व वसूली हेतु वर्षवार लक्ष्य नहीं रखे जिसके परिणामस्वरूप पुराने प्रकरण लंबित हो गए।

अनुशंसा :

विभागों को लंबित बकाया का डाटाबेस तैयार करना चाहिए तथा वसूली की प्रगति पर निगरानी रखने की प्रणाली विकसित करना चाहिए। विभाग बकाया राजस्व की वसूली हेतु प्रत्येक निर्धारण अधिकारी के लिए वर्षवार लक्ष्य निर्धारित कर सकता है।

1.4 वापसियों के लंबित प्रकरण

विभागों द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार वर्ष 2016–17 के अंत में लंबित वापसी प्रकरणों की जानकारी का उल्लेख **तालिका 1.5** में किया गया है:

[6] आबकारी विभाग (सहा. आबकारी आयुक्त ग्वालियर, जिला आबकारी अधिकारी मुरैना), खनन विभाग (जिला खनिज अधिकारी.– भोपाल, होशंगाबाद और रायसेन), पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग (जिला पंजीयक – भोपाल, होशंगाबाद और रायसेन) और वाणिज्यिक कर विभाग (वृत 1 से 6 भोपाल)।

तालिका 1.5

वापसियों के लंबित प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	विवरण	विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर		स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस		राज्य उत्पाद शुल्क		विद्युत कर तथा शुल्क	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित दावे	1,065	145.04	1,341	17.25	5	0.06	175	7.40
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	6,640	1,574.92	6,424	1.97	14	1.35	04	0.29
3.	वर्ष के दौरान की गई वापसियाँ	6,518	1,465.03	5,881	15.30	15	1.33	04	0.29
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	1,187	254.93	1,884	3.92	4	0.08	175	7.40
5.	वापसी का प्रतिशत (3 से 1+2)	84.59	85.18	75.74	79.60	78.95	94.33	2.23	3.77

लेखापरीक्षा कार्यालय ने वाणिज्यिक कर विभाग (वा.क.वि.) एवं ऊर्जा विभाग के अभिलेखों का परीक्षण किया (अप्रैल 2018) और पाया कि:

- वाणिज्यिक कर विभाग के तीन वृत्तों (भोपाल के वृत्त–1, वृत्त–5 और वृत्त–6) के अप्रैल 2016 से सितंबर 2017 की अवधि के कुल ₹ 42.42 करोड़ के 2,397 वापसी प्रकरणों में से ₹ 1.92 करोड़ के 319 वापसी प्रकरणों की लेखापरीक्षा जाँच (अप्रैल 2018) में पाया गया कि 58 प्रकरणों में ₹ 1.72 करोड़ की वापसी निर्धारित 60 दिनों के अतिरिक्त 40 से 2,740 दिनों के विलम्ब से की गई। कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा विलम्ब हेतु कोई कारण अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया। विभाग द्वारा बताया गया (मार्च 2018) कि न तो किसी व्यापारी द्वारा विलम्ब भुगतान के लिए ब्याज माँगा गया और न ही विभाग द्वारा इसके लिए ब्याज का कोई भी भुगतान किया गया। हालाँकि मध्यप्रदेश वैट कर अधिनियम के अनुसार, यदि व्यापारी द्वारा ब्याज का दावा किया जाता है, तो वापसियों के भुगतान आदेश दिनांक से एक प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज देय है।

- तीन वृत्तों (इन्दौर, जबलपुर, उज्जैन) के लेखापरीक्षण में पाया गया (अप्रैल 2018) कि विद्युत कर एवं शुल्क के वर्ष 1989–90 से 2016–17 के वापसी प्रकरण लंबित हैं जिनमें राशि ₹ 7.40 करोड़ की वापसी की जानी थी। लेकिन उपभोक्ताओं, जिन्हें वापसी की जानी हैं, के नाम, वापसी की राशि, वापसी की अवधि इत्यादि की जानकारी विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा ऊर्जा विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गई है। विभाग वितरण कम्पनियों से जानकारी प्राप्त करने में असफल रहा।

अनुशंसा :

विभाग द्वारा ऐसी प्रणाली विकसित की जाए कि वापसी के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण हो सके।

1.5 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/शासन की प्रतिक्रिया

शासकीय विभागों और कार्यालयों की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात्, लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) संबंधित कार्यालय प्रमुख को भेजते हुए उनकी प्रतियाँ उच्च अधिकारियों को सुधारात्मक कार्यवाही एवं उनकी निगरानी हेतु भेजी जाती हैं। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ विभागों के प्रमुखों तथा शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया कि 5,198 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 23,415 कंडिकाएँ, जिनमें राशि ₹ 21,576.37 करोड़ अन्तर्निहित थी, जून 2017 के अंत तक लम्बित थीं। निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विभागवार विवरण **तालिका 1.6** में दर्शाया गया है :

तालिका 1.6
निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	मौद्रिक मूल्य
1.	वित्त	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,659	8,998	3,968.95
2.	ऊर्जा	विद्युत कर तथा शुल्क	99	313	873.97
3.	आबकारी	राज्य उत्पाद शुल्क	384	1,554	7600.33
4.	राजस्व	भू–राजस्व	1,454	4,788	5,189.51
5.	परिवहन	वाहन कर	552	3,543	566.63
6.	पंजीयन एवं स्टाम्प	स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	707	2,429	739.90
7.	खनन एवं भौमिकी	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	343	1,790	2,637.08
		योग	**5,198**	**23,415**	**21,576.37**

वर्ष 2016–17 के दौरान जारी 396 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर, निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने के चार सप्ताह के अन्दर कार्यालय प्रमुखों के माध्यम से लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुए थे।

अनुशंसा :

शासन द्वारा एक तंत्र बनाया जाए जिससे विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन पर त्वरित/सुधारात्मक कार्यवाही की जाए एवं लेखापरीक्षा से तारतम्य बनाते हुए निरीक्षण प्रतिवेदनों का त्वरित निराकरण किया जा सके।

1.5.1 विभागीय लेखापरीक्षा समिति (वि.ले.स.) की बैठकें

शासन निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं के निराकरण की प्रगति पर निगरानी रखने एवं उन पर शीघ्र कार्यवाही करने हेतु लेखापरीक्षा समितियां गठित करता है। वर्ष 2016–17 में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों एवं समायोजित कंडिकाओं का विवरण **तांलिका 1.7** में दिया गया है।

तालिका 1.7
वि.ले.स. की बैठकों में समायोजित कंडिकाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या एवं बैठकों की दिनांक (कोष्ठक में)	नि.प्र. / कंडिकाओं की संख्या जिन पर चर्चा की गई	समायोजित कंडिकाओं की संख्या	समायोजित कंडिकाओं का प्रतिशत	राशि
वाणिज्यिक कर	1 (28.08.2016 और 29.08.2016)	63 / 274	3 / 66	24	0.11
अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग	1 (22.08.2016 से 24.08.2016)	40 / 219	6 / 102	47	70.69
राज्य उत्पाद शुल्क	1 (03.10.2016 से 05.10.2016)	52 / 214	10 / 113	53	123.62
भू–राजस्व	2 (05.09.2016 से 09.09.2016 और 15.11.2016 से 24.11.2016)	96 / 367	5 / 32	9.7	1.91
योग	**5**	**251 / 1074**	**24 / 313**		**196.33**

वर्ष 2016–17 के दौरान छह वि.ले.स. बैठकें अनुसूचित थीं किन्तु पाँच बैठकें ही आयोजित हुईं। छह क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों की वि.ले.स. की बैठक (6 फरवरी 2017 से 8 फरवरी 2017) की सूचना (जनवरी 2017) परिवहन आयुक्त को दे दी गई थी परन्तु दो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा बैठक हेतु प्रतिनिधि नहीं भेजे गये और चार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अभिलेख या तो अधूरे थे या सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं थे। भू–राजस्व के संबंध में भी समायोजन न होने का कारण संबंधित अभिलेख प्रस्तुत न करना एवं वसूली की कार्यवाही जारी रहना था। वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क एवं खनिज प्राप्तियाँ विभागों में जहाँ अधिकारियों ने माँग पत्र जारी किए, वहाँ अंतिम वसूली पूर्ण न होने के कारण कंडिकाओं का समायोजन नहीं हो सका।

इससे परिलक्षित होता है कि विभागों / शासन को वि.ले.स. बैठक की पूर्व सूचना दिये जाने के बाद भी विभाग द्वारा पुरानी कंडिकाओं के समायोजन हेतु आवश्यक अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए एवं वि.ले.स. बैठक के प्रति विभाग के असंतोषपूर्ण रवैये के फलस्वरूप निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं का समायोजन नहीं हो पाया।

लंबित कंडिकाओं के समायोजन की स्थिति की जानकारी (जनवरी 2017 और मई 2017 के बीच) विभाग / शासन को भेजी गई। इसके पश्चात विभाग / शासन द्वारा कोई उत्तर अथवा वसूली के संबंध में कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रेषित नहीं किया गया।

अनुशंसा :

शासन को सभी विभागों को यह निर्देशित करना चाहिए कि वे वि.ले.स. की आवधिक बैठकों के माध्यम से लम्बित लेखापरीक्षा आपत्तियों का निराकरण करें एवं इन बैठकों में विभाग की भागीदारी पर बारीकी से निगरानी रखी जावे।

1.5.2 संवीक्षा हेतु लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना

कर राजस्व/कर–भिन्न राजस्व कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त रूप से अग्रिम में तैयार किया जाता है तथा इसकी सूचना, सामान्यतः लेखापरीक्षा आरम्भ होने से एक माह पहले, विभागों को जारी की जाती है जिससे कि वे लेखापरीक्षा जाँच हेतु वांछित अभिलेख तैयार रख सकें।

वर्ष 2012–17 के दौरान, कुल 8,042 कर निर्धारण नस्तियाँ, विवरणियाँ, पंजियाँ एवं अन्य सम्बद्ध अभिलेख[7] लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। उपरोक्त तथ्यों को निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित किया गया और विभागों के सचिवों को भेजा गया। उपरोक्त जानकारी सभी विभागों के सचिवों और प्रशासनिक प्रमुखों के संज्ञान में पुनः लाई गई (मार्च 2018)। सभी प्रकरणों में कर राशि की गणना नहीं की जा सकी। लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न करना भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की संभावना के लिए चेतावनी का संकेत है। लेखापरीक्षा इन लेन–देनों की गतिविधियों की विश्वसनीयता सुनिश्चित नहीं कर सकी।

अनुशंसा :

राज्य शासन को ऐसे उपाय सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखापरीक्षा को वांछित अभिलेख आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाये जाये, विशेषतः तब जब उन्हें इसकी पर्याप्त पूर्व सूचना दी गई हो, तथा उन अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, जो लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध कराने में विफल रहे, जिसमें उपरोक्त वर्णित अभिलेख भी शामिल हैं।

1.5.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुवर्तन का संक्षिप्त विवरण

उच्चाधिकार प्राप्त समिति[8] द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुसार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधानसभा के पटल पर रखे जाने के तीन माह[9] के भीतर सभी विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित उनसे संबंधित सभी कंडिकाओं पर उनके द्वारा किए गए सुधारात्मक/उपचारात्मक उपायों पर व्याख्यात्मक टीप स्वतः ही लोक लेखा समिति को, महालेखाकार से विधिवत जाँच कराने के पश्चात, प्रस्तुत कर देना चाहिए।

राज्य राजस्व विभागों (वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, भू–राजस्व, पंजीयन एवं स्टाम्प तथा खनन) की वर्ष 2012–13 से 2015–16 की अवधि की 61 कंडिकाओं[10] पर व्याख्यात्मक टीप प्राप्त (मार्च 2018) नहीं हुई थी।

राज्य के विधायी मामलों के विभाग द्वारा जारी किये गये अनुदेशों (नवम्बर 1994) के अनुसार, लोक लेखा समिति द्वारा अनुशंसा किये जाने की तिथि के छह माह के भीतर लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर विस्तृत कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिये। इन प्रावधानों के बावजूद, प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्यान्वयन प्रतिवेदन अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये गये।

लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं[11] के बाद भी राज्य के राजस्व विभागों (वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन, भू–राजस्व, पंजीयन एवं स्टाम्प तथा खनन साधन) के वर्ष 1991–92 से 2010–11 की अवधि के लोक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 135

---

7 भू–राजस्व (394), वाणिज्यिक कर (7,151), आबकारी (49), परिवहन (30), पंजीयन एवं स्टाम्प (47), खनिज संसाधन (37) और अन्य (334)

8 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर समीक्षा एवं प्रतिक्रिया हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति की नियुक्ति की जाती है। (शकधर समिति प्रतिवेदन)

9 ऐसी स्थिति में जब लेखापरीक्षा कंडिकाऐं लोक लेखा समिति/COPU द्वारा इस अवधि में चयनित नहीं किये गये हों, स्वतः ही प्रत्युत्तर तीन माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने चाहिए

10 2012–13 (03), 2013–14 (07), 2014–15 (03), 2015–16 (48)

11 दिसम्बर 2004 से दिसम्बर 2016 के मध्य इस कार्यालय में प्राप्त

कंडिकाओं के कार्यान्वयन प्रतिवेदन मार्च 2017 तक नहीं प्राप्त हुए थे।

अनुशंसा :

शासन को राजस्व हानि रोकने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई कमियों एवं विभाग की कार्यप्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए कार्य आरंभ कर सकता है। शासन सुनिश्चित कर सकता है कि लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर विभाग द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन शीघ्र तैयार किया जाए।

1.5.4 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

विभागों/शासन ने वर्ष 2011–12 से 2015–16 के मध्य लेखापरीक्षा अवलोकनों में ₹ 689.09 करोड़ की आपत्ति स्वीकार की, जिसमें से मार्च 2017 तक केवल ₹ 94.08 करोड़ वसूल किये गये, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

तालिका 1.8

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

(₹ करोड़ में)

लेखपरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रतिवेदन के अनुसार कुल मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत मौद्रिक मूल्य	वसूल की गई राशि	स्वीकृत धन राशि से वसूल की गयी राशि का प्रतिशत
2011–12	247.82	115.54	51.80	44.83
2012–13	343.19	181.88	14.45	07.94
2013–14	368.07	54.64	13.49	24.69
2014–15	614.76	153.15	07.79	05.09
2015–16	970.62	183.88	06.55	03.56
योग	**2,544.46**	**689.09**	**94.08**	**13.65**

पिछले पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विभागानुसार वसूली का विवरण आगामी अध्यायों में दर्शाया गया है।

1.6 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों के निराकरण हेतु प्रणाली का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रमुखता से दर्शाये गये मुद्दों का विभाग/शासन द्वारा निराकरण करने की प्रणाली का विश्लेषण करने हेतु पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित **पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग** से सम्बन्धित कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर की गयी कार्यवाही का मूल्यांकन कर इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

उत्तरवर्ती कंडिकायें 1.6.1 से 1.6.3 पिछले 10 वर्षों के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के क्रम में संसूचित प्रकरणों तथा वर्ष 2006–07 से 2015–16 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रकरणों के निराकरण में **पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग** (0030 राजस्व प्राप्तियां मुख्य शीर्ष) के निष्पादन की विवेचना करती है।

1.6.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

विगत 10 वर्षों के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों, उनमें सम्मिलित कंडिकाओं तथा 31 मार्च 2017 को इनकी संक्षिप्त स्थिति **तालिका 1.9** में दर्शाई गई है :

तालिका 1.9
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष			वर्ष के दौरान शामिल			वर्ष के दौरान निराकरण			31 मार्च 2017 को अंतिम शेष		
	नि. प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि. प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि. प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि. प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य
2007–08	860	1,893	84.86	57	210	16.03	148	239	15.26	769	1,864	85.63
2008–09	769	1,864	85.63	80	315	26.03	133	397	15.95	716	1,782	95.72
2009–10	716	1,782	95.72	88	290	33.76	223	643	27.83	581	1,429	101.65
2010–11	581	1,429	101.65	65	264	62.16	237	477	20.41	409	1,216	143.39
2011–12	409	1,216	143.39	53	203	60.13	53	232	28.78	409	1,187	174.73
2012–13	409	1,187	174.73	98	344	49.01	69	169	10.88	438	1,362	212.86
2013–14	438	1,362	212.86	74	290	97.73	44	182	18.64	468	1,470	291.95
2014–15	468	1,470	291.95	103	455	318.99	22	81	5.97	549	1,844	604.97
2015–16	549	1,844	604.97	73	317	99.36	0	16	0.50	622	2,145	703.83
2016–17	622	2,145	703.83	78	294	26.16	2	19	0.07	698	2,420	729.92

लंबित कंडिकाओं की संख्या की बढ़ोत्तरी इस तथ्य का द्योतक है कि विभाग द्वारा लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं के निराकरण के पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये।

1.6.2 स्वीकृत प्रकरणों में वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं, इनमें से विभाग द्वारा स्वीकृत कंडिकाओं तथा विभाग द्वारा मार्च 2017 तक वसूल की गयी राशि की स्थिति **तालिका 1.10** में दर्शाई गई है :

तालिका 1.10
स्वीकृत प्रकरणों में वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	वर्ष 2016–17 के दौरान वसूल की गई राशि	31 मार्च 2017 तक वसूल की गई राशि की संचयी स्थिति
2006–07	6	2.45	4	0.55	0	0.51
2007–08	1 समीक्षा	91.57	1	45.76	0	8.58
2008–09	11	16.81	8	16.35	0	2.15
2009–10	9	14.72	7	14.11	0	2.06
2010–11	13	34.22	7	11.21	3.85	3.99
2011–12	10	32.71	10	28.11	0.24	0.32
2012–13	4 + 1 नि.ले.प.	173.05	3	139.22	0.37	0.41
2013–14	1 नि.ले.प.	85.46	1	15.24	0	0.03
2014–15	6	7.99	2	6.46	2.79	2.79
2015–16	12 + 1 नि.ले.प.	85.11	2	44.50	0	0

यह स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 से पूर्व की पुरानी कण्डिकाओं के सम्बन्ध में स्वीकृत

बकाया राशि की वसूली के लिए विभाग का प्रयास असंतोषजनक था। स्वीकृत प्रकरणों में संबंधित पक्ष से वसूली बकाया राजस्व की वसूली की प्रक्रिया के अनुसार करनी थी। स्वीकृत प्रकरणों में अनुसरण के लिए विभाग/शासन के पास कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था।

शासन ने वसूली प्रकरणों में वसूली हेतु न तो अधिनियम में विशेष प्रावधान किए हैं और न ही विभागों को निर्देश दिये हैं कि ऐसे प्रकरणों में निश्चित समय सीमा में वसूली पूर्ण की जाए तथा यह भी सुनिश्चित नहीं किया कि ऐसी अनियमिताएँ भविष्य में न हों। अतः लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कण्डिकाओं पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही न करने के परिणामस्वरूप न केवल स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस की कम आरोपित राशि की वसूली नहीं हो सकी बल्कि उसी प्रकार की अनियमितताएँ बाद के सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में पायी गईं। उनमें से कुछ वर्ष 2016–17 के दौरान भी लेखापरीक्षा में पाई गईं, जिन्हें इस प्रतिवेदन के अध्याय छह में शामिल किया गया है।

अनुशंसा :

शासन द्वारा स्वीकार किये प्रकरणों में वसूली सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास किये जा सकते हैं।

1.6.3 विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही

महालेखाकार के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को संबंधित विभाग/शासन के पास उनकी जानकारी व उत्तरों के लिए अग्रेषित किया गया। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर निर्गम सम्मेलनों में चर्चा की गई तथा इन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए अंतिम रूप देने के दौरान विभाग/शासन के विचार भी सम्मिलित किये गए।

पिछले पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग पर निष्पादन लेखापरीक्षाओं, उन में शामिल कुल अनुशंसाएँ, विभाग/शासन द्वारा स्वीकृत अनुशंसाएँ तथा स्वीकृत अनुशंसाओं की अद्यतन स्थिति **तालिका 1.11** में दी गई है :

तालिका 1.11

स्वीकृत अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही

प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या	स्वीकृत अनुशंसाओं का विवरण
2012–13	"विकास अनुबंधों तथा विकास योग्य भूमि के बंधक विलेखों पर मुद्रांक शुल्क का आरोपण"	3	• आरोपणीय मुद्रांक शुल्क के रिसाव को रोकने के लिए शासन को लोक कार्यालयों द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किए गये दस्तावेजों का विवरण दर्शाते हुए जिला पंजीयकों को प्रेषित करने के लिए कोई आवधिक विवरणी निर्धारित किये जाने के संबंध में विचार करना चाहिए। • लोक कार्यालयों द्वारा जिला पंजीयक को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों तथा सम्यक् रूप से मुद्रांकित नहीं पाये गये दस्तावेजों की संख्या पर एक आवधिक विवरणी निर्धारित किये जाने के संबंध में शासन द्वारा विचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जिला पंजीयकों द्वारा लोक कार्यालयों के नियमित निरीक्षण हेतु मानक निर्धारित किये जाने चाहिए। • शासन द्वारा राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए प्राक्कलित विकास व्यय निर्धारित करने हेतु बाजार मूल्य गाईडलाईनों में भूमि के विकास की दरें तथा एक कार्यप्रणाली निर्धारित करने के संबंध में विचार किया जाना चाहिए जिससे बंधक विलेख में विकास व्यय का सही निर्धारण सुनिश्चित किया जा सके। शासन द्वारा यह सुनिश्चित करने के संबंध में भी विचार किया जाना चाहिए कि विकास हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के पूर्व

			बंधक विलेखों का पंजीयन तथा उन्हे सम्यक् रूप से स्टाम्पित किया जाता है।
2013–14	**मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयक शुल्क के निर्धारण एवं संग्रहण का अनुमान**	**6**	राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए अन्य निकायों/विभागो द्वारा समय पर सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु आवश्यक सामंजस्य स्थापित किया जाये।
2015–16	**"ई–पंजीयन (संपदा)"** पर सूचना प्रौद्योगिकी की लेखापरीक्षा	**5**	• विभाग अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए मैनिट भोपाल, आईआईटी इंदौर, आदि राज्य आधारित अनुसंधान संस्थानों की सेवाओं का उपयोग कर सकता है और स्वयं की एक समर्पित आईटी समर्थन टीम बना सकता है। विभाग दस्तावेजों के पंजीयन से संबंधित डाटा की संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संपदा के अंतर्गत ई–पंजीयन से संबंधित कार्य में आउटसोर्स व्यक्तियों की सेवाओं को समाप्त करने पर विचार कर सकता है। • परियोजना के क्रियान्वयन के साथ ही हार्डवेयर की आपूर्ति में विलंब के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। लेगेसी डाटा को प्राथमिकता के आधार पर डिजीटल और प्रणाली में माइग्रेट किया जा सकता है ताकि संपत्ति के बहुविध पंजीयन के खतरे से नागरिकों की रक्षा की जा सके। • जब भी शासन अधिनियम/नियमों में परिवर्तन अधिसूचित करें, नियमों को संपदा सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जा सकता है। • राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए अधिनियम के प्रावधानों को एप्लिकेशन में उपयुक्त रूप से दर्ज किया जा सकता है। राजस्व की उचित वसूली सुनिश्चित करने के लिए डाटा और दस्तावेजों का द्वितीय स्तर पर प्राधिकरण, प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जा सकता है। • पंजीकृत दस्तावेज़ संपदा के उद्देश्यों में परिभाषित समय के भीतर पार्टियों को भेजे जाने चाहिए। शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए संपदा के मूल उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। मानवीय हस्तक्षेप को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए शासन संपदा के सभी मॉड्यूल्स को पूर्णरूप से परिचालित कर सकती है।

निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर उपरोक्त सभी अनुशंसाएँ, निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग द्वारा स्वीकार की गईं, परन्तु विभाग द्वारा इन कमियों को दूर करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अनुशंसा :

शासन स्तर पर पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग को निर्देश जारी किये जावें कि वे पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में स्वीकार की गई अनुशंसाओं पर उचित कार्यवाही करें।

1.7 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016–17 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, भू–राजस्व, स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस, खनन प्राप्तियाँ एवं जल कर की 392 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 2,73,032 प्रकरणों में ₹ 6,270.37 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि पाई गई। संबंधित विभागों ने वर्ष 2016–17

में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये 14,974 प्रकरणों में अंतर्निहित राशि ₹ 3,081.23 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा 151 प्रकरणों में ₹ 5.15 करोड़ वसूल किये।

1.8 इस प्रतिवेदन का कार्यक्षेत्र

इस प्रतिवेदन में 22 कंडिकाएँ, (उपरोक्त वर्णित स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा जाँचों में पाई गईं लेखापरीक्षा आपत्तियों तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संसूचित किन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं की गई आपत्तियों में से चयनित) **"आबकारी शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण"** पर निष्पादन लेखापरीक्षा एवं तीन लेखापरीक्षा **''रेत खनन एवं पर्यावरणीय परिणाम'', ''मध्यप्रदेश वैट अधिनियम के अंतर्गत निर्माण ठेकों और बिल्डरों पर करों का निर्धारण''** एवं **''जल कर का निर्धारण एवं संग्रहण''** जिनमें, ₹ 4,712.16 करोड़ के वित्तीय प्रभाव अंतर्निहित हैं, सम्मिलित हैं।

अधिकांश लेखापरीक्षा आपत्तियाँ इस प्रवृत्ति की हैं जिन्हें लेखापरीक्षा में नमूना जाँच हेतु राज्य के शासकीय विभागों की चयनित इकाईयों के अतिरिक्त अन्य इकाईयों में भी पाए जाने की संभावना है।

अतः विभाग/शासन लेखापरीक्षित इकाईयों के अतिरिक्त अन्य इकाईयों में भी आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि समस्त इकाईयों में निर्धारित नियमों व आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यकलाप किए जा रहे हैं।

शासन/विभागों ने ₹ 2,506.49 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है जिसमें ₹ 3.74 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। शेष प्रकरणों में उत्तर तथा की गई कार्यवाही की पुष्टि हेतु दस्तावेज विभागों से प्राप्त नहीं हुए हैं। इनकी विवेचना उत्तरवर्ती अध्यायों 2 से 8 में की गई है।